न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 61/2018

अनवान : -

1. मनोहरलाल पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रामपत जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. देवीलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. मायावती पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: वादी**

निर्णय दिनांकः 18.5.18

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 80/72 के खसरा सं0 326/12 की 3.730 है0 खसरा सं0 329/83 की 0.063 है0, खसरा सं0 331/87 की 0.527 है0 खसरा सं0 334/150 की 1.682 है0 कुल 6.002 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि है जो कि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति है। प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को उपर वर्णित कृषि भूमि विरासतन में प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वांदी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

प्रतिवादी सं0 1 के नाम मुन्दडियाबड़ा के खाता सं0 132/128 में कुल 1.3820 है0 बारानी व रोही रामसरा के खाता सं0 90/16 में कुल 2.2470 है0, जिगासरीबडी के खाता सं0 112/111 में 2.5990 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 कोई हक व हिस्सा की घोषणा नहीं करवा रहे है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहेगी। प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादिया सं0 3 ने जिगासरीछोटी वाली कृषि भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

सहायक कलक्टर

साक्ष्य वादी में वादी मनोहरलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम जिगासरीछोटी खाता सं0 72/71 सम्वत् 2068 से 71 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम जिगासरी छोटी खाता सं0 71/66 सम्वत् 2064 से 67 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम जिगासरी छोटी खाता सं0 80/72 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि हेतु जो चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम जिगासरी छोटी खाता सं0 71/66 सम्वत् 2064 से 67 प्रदर्श 2 पेश की है उसमें कृषि भूमि वादी के दादा रामपत के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं सरंपच ग्राम पंचायत अलायला द्वारा जारी वारिस प्रमाण प्रदर्श 4 में रामकुमार के वारिसान में पत्नि नारायणी, दो पुत्र देवीलाल व मनोहरलाल एवं एक पुत्री मायावती होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 80/72 के खसरा सं0 326/12 की 3.730 है0 खसरा सं0 329/83 की 0.063 है0, खसरा सं0 331/87 की 0.527 है0 खसरा सं0 334/150 की 1.682 है0 कुल 6.002 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि है से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादी मनोहरलाल व प्रतिवादी सं0 2 देवीलाल दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार व प्रतिवादीया सं0 3 मायावती ने उपर वर्णित जिगासरी छोटी की कृषि भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 61/2018

अनवान : –

1. मनोहरलाल पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रामपत जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. देवीलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. मायावती पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 80/72 के खसरा सं0 326/12 की 3.730 है0 खसरा सं0 329/83 की 0.063 है0, खसरा सं0 331/87 की 0.527 है0 खसरा सं0 334/150 की 1.682 है0 कुल 6.002 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि है से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादी मनोहरलाल व प्रतिवादी सं0 2 देवीलाल दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार व प्रतिवादीया सं0 3 मायावती ने उपर वर्णित जिगासरी छोटी की कृषि भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ